कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

—:: सार्वजनिक सूचना ::—

क्रमांक / 878 / भू–अर्जन / भूक्रनी / 2019 राजनांदगांव, दिनांक 07 / 03 / 2020

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के तहत राजनांदगांव कन्हारपुरी से एन.एच. 53 (6) पहुंच मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी. सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु ग्राम **लखोली**, प.ह.नं. 50, रा.नि.मं. राजनांदगांव–1 तहसील व जिला राजनांदगांव के निम्नलिखित भू–धारक की भूमि की आवश्यकता होने के कारण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग, राजनांदगांव के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है :—

क्र	भू–धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में.)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (वर्ग मीटर में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
1	अर्पण पिता इंदरचंद कोठारी, जाति जैन सा. कामठी लाईन, राजनांदगांव भूमि स्वामी	197 / 1	2.803	410.00	मुख्य मार्ग
	योग	01	2.803	410.00	

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव
3/3/2020

पृ0क्रमांक / 878 / भू–अर्जन / भूक्रनी / 2019 राजनांदगांव, दिनांक 07 / 03 / 2020

प्रतिलिपि :—

1— प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर शाखा, जिला कार्यालय राजनांदगांव को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु अग्रेषित।

2— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनांदगांव को सूचनार्थ अग्रेषित।

3— तहसीलदार, राजनांदगांव को 06 प्रतियों के साथ अग्रेषित। कृपया उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो गवाहों के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, राजनांदगांव, तहसील कार्यालय राजनांदगांव तथा संबंधित नगर पालिक निगम– राजनांदगांव के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करावें, तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

4— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5— आवेदक विभाग कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग, राजनांदगांव को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया उक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, समाचार पत्र की दो–दो प्रतियॉ इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव
3/3/2020

(10)